

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर

कमॉक:-प.2 (सब) आ.कृ./जी-39/18-19/ग्रुप-9/708-818

दिनांक 10-05-2018

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)  
जयपुर/भरतपुर/जोधपुर/उदयपुर/जालौर/  
बीकानेर/श्रीगंगानगर/भीलवाडा/सीकर/कोटा ।

विषय:- दिनांक 31-03-2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले सहायक कृषि अधिकारियों की सूचना उपलब्ध कराने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके तथा आपके अधिनस्थ (उधान विभाग /आई.जी.एन.पी./सी.ए.डी./प्रतिनियुक्त पर कार्यरत सहित) कार्यालयों में दिनांक 01-04-2018 से 31-03-2019 तक की अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले सहायक कृषि अधिकारियों की निम्न प्रपत्र में सूचना इकजाई कर इकजाई सूचना आयुक्तालय को उपलब्ध कराने का श्रम करें ।

प्रपत्र

क.स.	कार्यालय का नाम	सहायक कृषि अधिकारी का नाम	जन्म तिथि (सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति संलग्न करें )	अधिवाषिकी आयु पूर्ण करने की तिथि	नियुक्ति दिनांक से आज दिनांक तक का पदस्थापन विवरण	सी.सी.एस.नियम 16 के तहत जॉच बकाया है /लम्बित है या नहीं की सूचना	सी.सी.एस.नियम 19 के तहत जॉच बकाया है /लम्बित है या नहीं की सूचना	कोई न्यायिक कार्यवाहियों लम्बित है या नहीं की सूचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*(सोमेश्वर शर्मा)*  
(सोमेश्वर शर्मा)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

कमॉक:-प.2 (सब) आ.कृ./जी-39/16-17/ग्रुप-9/  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक

1-निदेशक, उधान विभाग, राजस्थान जयपुर ।

2- समस्त उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद ..... को भेजकर लेख है कि आपके अधिनस्थ कार्यरत सहायक कृषि अधिकारी जो कि दिनांक 01-04-2018 से 31-03-2019 की अवधि में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं कि सूचना उपरोक्त प्रपत्र में खण्ड कार्यालय के माध्यम से आयुक्तालय को उपलब्ध करावे ।सी.सी.ए.नियम 16 व अन्य के तहत जॉच से सम्बन्धित पावर खण्ड कार्यालयों में निहित की गयी है अतः चाही गई वॉछित सूचना सीधे आयुक्तालय को प्रेषित नहीं करके खण्ड कार्यालय के माध्यम से ही उपलब्ध करावे ।

3- समस्त सहायक निदेशक कृषि (वि) ..... को भेजकर लेख है कि आपके अधिनस्थ कार्यरत सहायक कृषि अधिकारी जो कि दिनांक 01-04-2018 से 31-03-2019 की अवधि में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं कि सूचना उपरोक्त प्रपत्र में खण्ड कार्यालय के माध्यम से आयुक्तालय को उपलब्ध करावे ।सी.सी.ए.नियम 16 व अन्य के तहत जॉच से सम्बन्धित पावर खण्ड कार्यालयों में निहित की गयी है अतः चाही गई वॉछित सूचना सीधे आयुक्तालय को प्रेषित नहीं करके खण्ड कार्यालय के माध्यम से ही उपलब्ध करावे ।

4- एनालिस्ट ऑफ प्रोग्रामर सु-जनरल के विभाग में वेतन वृद्धि पर अर्पण करने हेतु ।

(उदयभाम सिंह)

उप निदेशक कृषि (प्रशासन)